

SMS
2020/00087
08/02/2021

मौज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. डाकरा राम

हलका... भूक वनात सिंह

पुत्र श्री. रामपुत्रा... जाति... हरीश

निवासी- भूक वनात सिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 84/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूक वनात सिंह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2021 में मौजा भूक वनात सिंह के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1000 वर्ग फीट किस्म भूमि 5/10 मुर जोधपुर पर नाजायज अतिक्रमण कर कारत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। जो गैर सायल अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पत्रावली पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है।	डाकरा राम
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय पाया जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश है।	डाकरा राम

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

27-1-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल की तरफ से उन वकील ने उपस्थित होकर जवाब देने समय नहीं जो किया जाकर पत्रावली दि. - 10-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिंगधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीठाली अधिकारी को उग्रही पर खिना पत्रारे से पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल के कवल से अधिक अवसर दिए जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।
तहसीलदार सिंगधरी
जिला-बाड़मेर

22.02-21

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल से बार-बार अवसर दिये जाते के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गैर सामल के अधिकारी मानते हुए पत्रावली फैसल सुमार है। निर्णय अलग से लिख जाकर शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार सिंगधरी
जिला-बाड़मेर